FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं S.D.O. मुकाम सागवाड़ा

माड देवी बनाम चन्नासिंह वगैरा

किस्म मुकदमा राज० कानू० 111,128 RCRAct नं. 157/19 सन 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/05/19	~~प्रार्थी~~/वादी/अपीलांट के वकील श्री चुन्नाराम ने यह ~~प्रार्थना पत्र~~/वाद/अपील धारा 111,128 RCRAct राजस्थान काश्तकारी/~~भू-राजस्व~~ अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। ~~विप्रार्थी~~/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 11/06/19 को पेश हो।	
11/06/19	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 10/07/19 को पेश हों।	
10/07/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 04/11/2019 को पेश हो।	
04/11/19	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 17/12/19 को पेश हों।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 17:20:18 IST
Reason: SelfAttested

17/12/19 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण कान्हु नामिल अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई। विपक्षीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी के अधि-वक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधि-वक्ता द्वारा बतलाया की प्रार्थीगण व विपक्षीगण की भूमि सेरा मेड मिली हुई है। प्रार्थी व विपक्षीगणों के खेतो के बीच जो पुरानी मेड पक्की व कच्ची तथा सीमा चिन्ह जो बने हुए थे वे वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये है। बरसात होने पर प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य खेतो को लेकर तनाजा बना रहता है। जिस कारण प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतो की सीमाओं का सही ज्ञान करने के लिए पक्की नापब-न्दी करवाना आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नापबन्दी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नापबन्दी आदेश किया जावे। जिसमें तहसीलदार कमिश्नर रहे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नापबन्दी आवेदन को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमिश्नर व संबंधित भू० अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाता है व आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नापबन्दी मौके पर कमिश्नर शुल्क जमा कराकर करें, पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

विवेक व्यास
सहायक कलेक्टर (SDO)
2015
जायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 17:20:18 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–राज्कार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक/वाद/2019/ 1044 दिनांकः– 17/12/19

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. माडू देवी पत्नी मुलाराम जाति जाट निवासी होलोणी तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर		1. चनणसिंह पुत्र राजुसिंह वगैरा जाति राजपूत निवासी होलोणी तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 157/19

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा लापुन्दड़ा तरली पटवार हल्का लापुन्दड़ा तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर क्रमशः 312, 324 रकबा क्रमशः 00.11, 18.13 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है वह तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर व संबंधित भू अभिलेख निरिक्षक को सहायक कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि कमीशनर स्वंय या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क रूपयें 500 जमा करा कर करें एवं पालना रिपार्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर संबंधित थाना अधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

17.12.2019
सहायक कलक्टर (SDO) बायतु
उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक/वाद/2019/ 1045–49 दिनांकः– 17/12/19

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा।
2. पटवारी लापुन्दड़ा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीनी श्रीमति माडू देवी
4. विप्रार्थीगण श्री चनणसिंह वगैरा
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा ।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु
उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 17:20:18 IST
Reason: SelfAttested